

राजस्थान सरकार
गृह (गुप-12) विभाग

क्रमांक: प.1(9)गृह-12/कारा/2021-18022

जयपुर, दिनांक: e-signed date

:: आज्ञा ::

राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएँ संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2021 के परिणाम एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान जेल सेवा नियम, 1959 के नियम-7 के अनुसरण में इस विभाग की आज्ञा क्रमांक प.1(29)गृह-12/कारा/1996पार्ट दिनांक 24.05.2024 के द्वारा निम्नांकित अधिकारियों को 02 वर्ष की अवधि के लिए परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियत पारिश्रमिक पर राजस्थान कारागार विभाग में उपाधीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया।

राजस्थान कारागार सेवा नियम-1959 के नियम 30 एवं नियुक्ति आदेश में विहित शर्तों के परिप्रेक्ष्य में निम्नांकित अधिकारियों को उनकी परीवीक्षा अवधि संतोषजनक पूर्ण होने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से उपाधीक्षक के पद पर एतद्द्वारा स्थाई किये जाने एवं राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2017 के तहत नियमानुसार नियमित वेतनमान स्वीकृत किये जाने के आदेश एतद्द्वारा प्रदान किये जाते हैं :-

क्र. सं.	नाम अधिकारी	उपस्थिति / कार्यग्रहण दिनांक	परीवीक्षाकाल पूर्ण होने की दिनांक	स्थाईकरण / नियमित वेतनमान स्वीकृति दिनांक
1.	श्री परेश कुमार प्रजापति	27.05.2024	26.05.2026	27.05.2026
2.	श्री मुरली मनोहर सुथार	27.05.2024	26.05.2026	27.05.2026
3.	श्रीमती कोमल पुरोहित	27.05.2024	26.05.2026	27.05.2026
4.	श्री जितेन्द्र सिंह राठौड़	27.05.2024	26.05.2026	27.05.2026
5.	श्री धीरज कुमार मीणा	31.05.2024	30.05.2026	31.05.2026
6.	श्री विकास सोलंकी	27.05.2024	26.05.2026	27.05.2026

राज्यपाल की आज्ञा से,

(गोविन्द प्रसाद)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. अति. मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, गृह विभाग।
4. महानिदेशक कारागार राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक प.5(1)मुख्यालय/11/2026 दिनांक 10.06.2026 के क्रम में।
5. प्रोग्रामर, गृह (ग्रुप-6) विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. संबंधित अधिकारीगण मार्फत महानिदेशालय कारागार, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी/रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव